

RRHO-721

17-5-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 14-5-12

- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं।

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	57/06	श्री गुलाब चन्द्र माली नर्स ग्रेड प्रथम भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर	11A/4, गांधीनगर	31.7.2018
2.	63/06	श्री जय प्रकाश शर्मा प्राध्यापक, डिप्लोमा इन फार्मासी कोर्स जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15/41, मालवीयनगर (15/45, मालवीयनगर के स्थान पर)	30.9.2036
3.	141/08	श्रीमती सोनल माथुर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर	11A/89 गांधीनगर (11A/104 गांधीनगर के स्थान पर)	30.11.2034
4.	143/08	श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत, कनिष्ठ लेखाकार, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	डब्ल्यू-ब्लॉक एमआरईसी केम्पस गांधीनगर	31.8.2023
5.	5/09	श्री राजेन्द्र सिंह जालवाल कनिष्ठ अनुदेशक, आर.आई.केन्द्र, वनपार्क, जयपुर	7/11A/ए बहुमंजिला गांधीनगर	31.7.2017
6.	94/09	श्रीमति प्रवीणा चारण अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जगतपुरा जयपुर	जे-ब्लॉक एमआरईसी केम्पस गांधीनगर	30.9.2033
7.	125/09	श्री प्रमोद कालेर प्रवक्ता, कम्प्युटर इंजीनियरींग, राजकीय खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	11A/42, गांधीनगर	31.7.2044
8.	126/09	श्री विजय कुमार मीणा लेक्चरर तकनीकी शिक्षा राजकीय खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	11A/60 गांधीनगर	30.9.2044
9.	128/09	श्री काशीराम विधि सहायक श्रम आयुक्त, शांतिनगर, हसनपुरा, जयपुर	11A/69 गांधीनगर	31.1.2020
10.	129/09	श्री दीलिप कुमार निमेष प्रवक्ता ऑफिसटक्वर, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	11A/71 गांधीनगर	30.9.2036
11.	56/2010	श्रीमति संतोष चौधरी कृषि अधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि, जयपुर खण्ड जयपुर	जीए/11A/टी-2/ 134, विद्याधरनगर (जीए/11A/टी-2 /129, विद्याधरनगर के स्थान पर)	30.4.2040
12.	4/2011	श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव आर.पी.एस. वृत्ताधिकारी गांधीनगर, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर। (एवीएस नीतिगत निर्णय अनुसार)	11A/109, एवीएस गांधीनगर	31.1.2041

OIC (Meb)
A
17-5-2012

13.	7/2011	श्री रामकल्याण गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार आयुक्त उद्योग विभाग, जयपुर	ए-13, जवाहरनगर	30.11.2026
14.	1/2012	श्रीमती यामिनी कौशिक व्याख्याता, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर	15/16, मालवीयनगर	31.5.2023
15.	3/2012	डॉ० अरविन्द कुमार आर.एम.ओ, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-99, जवाहरनगर	31.10.2039
16.	5/2012	श्री सोवरन सिंह परियोजना निदेशक (आला) कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	15/56, मालवीयनगर	31.1.2014
17.	20/2012	सुश्री ज्योति अग्रवाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, संभागीय तृतीय जयपुर	15/70, मालवीयनगर	31.7.2046
18.	28/2012	श्रीमती रेखा मीणा लेखाधिकारी प्रशिक्षणाधीन वित्त राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 83 विद्याधर नगर (जीए/गा/टी-2 /76 विद्याधरनगर के स्थान पर)	31.5.2043
19.	30/3012	डा० सुभाष चन्द आरएमओ ईएनटी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 16 विद्याधर नगर	31.3.2043
20.	31/3012	श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित राजस्थान लेखा सेवा(प्रशिक्षु) अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।	जीए/गा/टी-2/ 27 विद्याधर नगर	31.1.2030
21.	35/2012	श्री जय कोशिक लेखाधिकारी प्रशिक्षु वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 28 विद्याधर नगर	30.4.2032
22.	38/2012	डॉ निधि शर्मा सहायक निदेशक उद्योग कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 31 विद्याधर नगर	31.12.2041
23.	38-ए/ 2012	श्री विल्लू राम आर.ए.एस प्रशिक्षु हरिश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 32 विद्याधर नगर	1.1.2043
24.	41/2012	सुश्री शैफाली कुशवाहा आर.ए.एस. (प्रवेशनर) कार्मिक विभाग, हरिश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 34 विद्याधर नगर	31.7.2042
25.	42/2012	श्री अशोक कुमार पारीक सहायक निदेशक (जीपीआरएस) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 42 विद्याधर नगर	31.1.2034
26.	43/2012	श्री अशोक कुमार योगी आर.ए.एस. (प्रशिक्षु) हरिशचन्द्र माथुर लोक संस्थान, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 43 विद्याधर नगर	31.7.2043

27.	44/2012	श्री राजूलाल गुजर आर.ए.एस. प्रोवेंशनर कार्मिक विभाग हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 46 विद्याधर नगर	31.8.2033
-----	---------	---	---------------------------------	-----------

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या --5 पर अंकित श्री राजेन्द्र सिंह जालवाल से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके देहान से काटे ज़रूर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से



(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, डिप्लोम इनफार्मासी कोर्स, स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
10. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर।
11. शासन उप सचिव, वित्त राजस्व विभाग, जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
13. अधीक्षक, आर.आई. केन्द्र, बनीपार्क, जयपुर।
14. जिला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जगतपुरा, जयपुर।
15. प्रिंसिपल, राजकीय खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
16. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रभानाचार्य, रामचन्द्र खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक, कृषि जयपुर खण्ड, जयपुर।
19. पुलिस अधीक्षक, जयपुर पूर्व, जयपुर।
20. शासन उप सचिव, गृह (मुप-1) विभाग, जयपुर।
21. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
22. प्राचार्य, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर।

23. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, जयपुर।
24. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
25. शासन उप सचिव, जीएफएण्डआर, वित्त विभाग, जयपुर।
26. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
27. महानिदेशक, इन्द्रा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
28. शासन उप सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
29. आयुक्त, परिवहन विभाग, मुख्यालय जयपुर।
30. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
31. अधिष्ठात्री अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गौधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
32. प्रबन्ध निदेशक, राजकाम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
33. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
34. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
35. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
36. संबंधित अधिकारीगण।
37. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
38. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
39. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
40. रक्षित पत्रावली।

(मंगफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव